"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2005—आषाढ़ 27, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2005 (आषाढ़ 27, 1927)

क्रमांक-8912/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005), जो दिनांक 18 जुलाई, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005

विषय सूची

खंड :

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 9 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 स्थापित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) ''टोनही'' से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाये कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचायेगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वह डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो;

(2) ''पहचानकर्त्ता'' से अभिप्रेत है व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता हो या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता हो या अपने कार्य, शब्दों, भावभंगिमा या व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद करता हो या जान-बूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे अथवा क्षति पहुंचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(3) ''ओझा'' चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो, से अभिप्रेत है व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि उसमें झाड़फूंक, टोटका, तंत्र-मंत्र या अन्य साधनों द्वारा टोनही या टोनही द्वारा प्रभावित कहे गये किसी व्यक्ति या पशु या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता है;

(4) ''हानि'' में शामिल है शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा को नुकसान;

(5) ''संहिता'' से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2).

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

3. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा यह उसका अल्पीकरण नहीं करेगा.

टोनही की पहचान के लिए दंड.

4. जो कोई, किसी व्यक्ति की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

प्रताड़ना के लिए दंड.

5. जो कोई, स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में पहचान किये गये व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

अधिकथित उपचार के लिए दंड.

6. जो कोई, टोनही के रूप में पहचान किये गये या टोनही द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़फूंक, टोटका, तंत्र-मंत्र के उपयोग या अन्य कार्य, उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जायेगा.

टोनही होने का दावा करने के लिए दंड.

7. जो कोई, दावा करता हो कि वह काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है और ऐसा प्रचारित करता है और लोक प्रशांति एवं परिशांति भंग करने का प्रयास करता है एवं अन्य को क्षोभकारित या क्षतिकारित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जायेगा.

अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड.

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दण्डीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा उसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जायेगा.

अपराधों का विचारण.

9. इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे.

अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे;

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू होना.

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 360 अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (क्रमांक 20 सन् 1958) में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का न हो.

जुर्माने के निर्धारण में विषयों को विचारण में लिया जाना.

12. धारा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाता है, न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए कोई व्यय सहित, पीड़ित को हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान को विचारण में लेगा.

मुआवजे का आदेश.

13. जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक, पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकेगा.

क्षेत्राधिकार का वर्जन.

14. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

15. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई अथवा किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

16. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.

इस अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

टोनही जो कि सामाजिक बुराई है, के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न, सार्वजनिक दमन, शारीरिक प्रताड़ना एवं हानि से रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह विधेयक पुर:स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक : 30 जून, 2005

लता उसेंडी
राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास
(भारसाधक-सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक 2005 के खण्ड-16 में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है जिसके तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.